भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2410

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

झांसी में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

2410. श्री अनुराग शर्मा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झांसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास अवसंरचना और जारी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है;

(ख) झांसी में कार्यान्वित की जा रही केंद्र और राज्य प्रायोजित कौशल विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रशिक्षण केंद्रों, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्र में उक्त कार्यक्रमों में महिलाओं, दिव्यांगजनों और सीमांत समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने झांसी के युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्थानीय उद्योगों या निजी संस्थानों के साथ कोई साझेदारी की है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल एवं कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)की कौशल विकास योजनाएँ मांग आधारित हैं और देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित/संचालित किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना का उद्देश्य देशभर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्न्यन और पुनः कौशलीकरण प्रदान करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): जेएसएस का मुख्य उद्देश्य 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर, नव-साक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। दिव्यांगजनों और अन्य योग्य व्यक्तियों के लिए आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए कई व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

झांसी लोकसभा क्षेत्र सहित इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का विवरण निम्नलिखित है:-

डीजीटी:- डीजीटी समय-समय पर आईटीआई के लिए संबद्धता मानकों और मानदंडों की समीक्षा करता है ताकि उनकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। सीटीएस के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का पाठ्यचर्या भी उद्योग भागीदारों के परामर्श से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, ताकि नवीनतम तकनीकी प्रगति और विकसित हो रही कौशल आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण बाजार की मांग के अनुरूप बना रहे।

पीएमकेवीवाई:- पीएमकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण केंद्रों को प्रशिक्षण में उम्मीदवारों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) मशीन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण केंद्रों को भुगतान उम्मीदवारों की उपस्थिति से जोड़ा गया है। कॉल सत्यापन, औचक केंद्र दौरे, वर्चुअल सत्यापन और परिणाम-आधारित भुगतान जैसे निगरानी उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्रों और उम्मीदवारों के कौशलीकरण विकास चक्र की प्रगति की समवर्ती निगरानी भी की जाती है।

एनएपीएस:- एनएपीएस के अंतर्गत, योजना की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और एक योजना निगरानी एवं समीक्षा समिति (एसएमआरसी) का गठन किया गया है। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समितियों (एसआईआरसी) का गठन किया गया है।

जेएसएस: एमएसडीई आवधिक समीक्षा बैठकों और क्षेत्र दौरों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है। आरडीएसडीई द्वारा राज्य स्तर पर, जेएसएस की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रभावी निगरानी के लिए आरडीएसडीई अधिकारी समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेएसएस का दौरा और निरीक्षण करते हैं।

(ख): झांसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजनावार प्रशिक्षण केंद्रों और लाभार्थियों की कुल संख्या:

योजना का नाम	**प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या**	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**
पीएमकेवीवाई	52	82	11,969
एनएपीएस	165*	100#	3270
सीटीएस	66	36	19,115

* शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले संस्थान

जॉब रोल्स की संख्या

झांसी लोकसभा क्षेत्र में कोई सक्रिय जेएसएस केंद्र नहीं है।

(ग) उम्मीदवारों, विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों और पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, योजना के प्रावधानों के तहत परिवहन भत्ता, सहायक उपकरण, आवास और भोजन की सुविधा (जहां भी लागू हो) आदि प्रदान की जाती है। पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और विशेष ध्यान देता है जिनमें महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी माना जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत विशेष परियोजनाएं स्थानीय कौशल मांगों के अनुरूप बनाई गई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और लाभ उठाने के अवसर मिलते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी और लाभ सुनिश्चित करता है। एनएपीएस के तहत, सेवा क्षेत्र में ट्रेड (वैकल्पिक ट्रेड) की शुरुआत से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जेएसएस योजना के तहत, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जेएसएस के तहत लाभार्थियों में 80% से अधिक महिलाएं हैं। इसके अलावा, 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक आईटीआई विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

(घ) एवं (ङ) कौशल विकास क्षमताओं, रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय निगमों के साथ-साथ घरेलू उद्यमों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये सहयोग कौशल विकास इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करते हैं। क्षेत्रीय कौशल परिषदें और जिला कौशल समितियां क्षेत्रीय कौशल अंतराल को दूर करने के लिए स्थानीय उद्योगों के साथ भी जुड़ती हैं।

इसके अलावा, एमएसडीई और माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल सर्विसेज सेंटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सशक्त बनाने हेतु 'एआई करियर फॉर विमेन' नामक एक अग्रणी कौशल विकास पहल शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने एआई रेडीनेस के लिए कौशल विकास (एसओएआर) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल टेक और नैस्कॉम (कौशलोन्नयन के साथ) के साथ भी सहयोग किया है।

एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से सुसज्जित उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) में योगदान करते हैं।

*****